रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223923 CG-DL-E-24122020-223923

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4114] No. 4114] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4677(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1577(अ) तारीख 04.04.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11.04.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी—नुमालीगढ़ प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

6312 GI/2020 (1)

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

		.38					
जिला : सोनीतप्	<u>.</u> र				राज	य : असम	
					क्षेत्रफल		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
तेज़पुर	बीहागुरी	गेरुवा गाँव	17	00	07	98	
			16	00	13	93	
			22	00	11	50	
			23	00	04	61	
			24	00	02	83	
			25	00	16	92	
			44	00	10	74	
			42	00	15	40	
			40	00	16	27	
			67	00	06	30	
			39	00	16	23	
			37	00	01	62	
			38	00	03	81	
			36	00	06	71	
तेज़पुर	बीहागुरी	निराई आटीगाँव	296	00	08	13	
			297	00	05	48	
			298	00	06	83	
			299	00	12	53	
			286	00	11	20	
			285	00	06	89	

			303	00	10	43
			304	00	00	30
			282	00	10	17
			281	00	01	17
			279	00	06	42
			306	00	24	47
			476	00	17	06
			474	00	11	85
			473	00	10	36
			479	00	33	49
			470	00	24	40
			469	00	02	82
			461	00	07	55
			458	00	14	18
			459	00	03	49
			388	00	10	74
			416	00	12	55
			411	00	11	13
			410	00	07	62
			409	00	11	62
			408	00	03	05
			404	00	14	87
			405	00	05	95
			406	00	00	20
तेज़पुर	बीहागुरी	मइला गाँव	103	00	06	91
(131)	4161371	12/11/11/4	119	00	06	67
			120	00	26	90
			116	00	15	68
			114	00	02	74
			115	00	12	46
			08	00	16	32
			11	00	13	54
			10	00	09	30
			17	00	13	00
			18	00	24	52
			716	00	00	64

20	00	00	20
33	00	04	91
34	00	09	98

[फा. सं. एल-14014/43/2019-जीपी-II] राज किशोर. अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

**S.O.** 4677(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1577(E) dated the 04.04.2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 11.04.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the State of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

## **SCHEDULE**

District : Sonitpur		State:Assam					
				Area			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Hectare	Are	Square Metre	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
TEZPUR	BIHAGURI	GERUWA GAON	17	00	07	98	
			16	00	13	93	
			22	00	11	50	
			23	00	04	61	
			24	00	02	83	
			25	00	16	92	
			44	00	10	74	
			42	00	15	40	

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	5
[1111 11 4 3 5(1)]	भारत म रागाम : गराजारम	$\mathcal{L}$

ग II—खण्ड 3(	(ii)]	भारत का राजपत्र : असा	धारण ————			5
			40	00	16	27
			67	00	06	30
			39	00	16	23
			37	00	01	62
			38	00	03	81
			36	00	06	71
TEZPUR	BIHAGURI	NIRAI ATI	296	00	08	13
			297	00	05	48
			298	00	06	83
			299	00	12	53
			286	00	11	20
			285	00	06	89
			303	00	10	43
			304	00	00	30
			282	00	10	17
			281	00	01	17
			279	00	06	42
			306	00	24	47
			476	00	17	06
			474	00	11	85
			473	00	10	36
			479	00	33	49
			470	00	24	40
			469	00	02	82
			461	00	07	55
			458	00	14	18
			459	00	03	49
			388	00	10	74
			416	00	12	55
			411	00	11	13
			410	00	07	62
			409	00	11	62
			408	00	03	05
			404	00	14	87
			405	00	05	95
			406	00	00	20
ΓEZPUR	BIHAGURI	MAILA GAON	103	00	06	91
			119	00	06	67

6	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY		[PART II—S	SEC. 3(ii)]
	120	00	26	90
	116	00	15	68
	114	00	02	74
	115	00	12	46
	08	00	16	32
	11	00	13	54
	10	00	09	30
	17	00	13	00
	18	00	24	52
	716	00	00	64
	20	00	00	20
	33	00	04	91

34

[F. No. L-14014/43/2019-GP-II] RAJ KISHORE, Under Secy.

09

98

00